

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.15 (2) 2025 / गोप्र / प्रमुवसं- 12391

दिनांक : As per sign

—: कार्यालय-आदेश :—

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.10.2025 की अनुशंसा के आधार पर निम्न लोकसेवकों को वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-16 (6600) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति तिथि
1	मोती लाल परेवा	रामधन परेवा	एस.सी.	01.04.2025
2	जगराम बैरवा	रामसहाय	एस.सी.	01.04.2025
3	लालूराम शर्मा	रामधन	—	01.05.2025
4	विजय कुमार शर्मा	वृद्धि चन्द शर्मा	—	01.08.2025
5	घनश्याम सिंघल	बैजनाथ सिंघल	—	01.09.2025
6	खेमराज सिंह सौलंकी	सुमेर सिंह	—	01.11.2025
7	जयराज देराश्री	प्रभाष चन्द	—	01.01.2026

उक्त पदोन्नति आदेश निम्न शर्तों/प्रावधानों के अधीन रहेंगे :-

- चयनित कार्मिकों में से सेवानिवृत्त, स्वेच्छिक सेवानिवृत्त, मृतक के अतिरिक्त कम संख्या 1 से 5 तक पदोन्नत लोकसेवक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही यथावत कार्यरत रहते हुए पदोन्नत पद की कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 31.10.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। कम संख्या 6 से 7 पर अंकित श्री खेमराज सिंह सौलंकी एवं जयराज देराश्री अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट अपने अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दस दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। चयनित लोकसेवक को संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा।
- उपरोक्त पदोन्नत लोकसेवकों का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर



क्रमांक : एफ.15 (2) 2025 / गोप्र / प्रमुवसं- 12391

दिनांक : As per sign

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP राजस्थान, जयपुर।
4. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का (अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
10. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
11. उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी/ भू-संरक्षण अधिकारी।
12. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
13. संबंधित लोकसेवक.....।
14. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर